न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/32 **दायरा दिनांक : 15.04.2024**

उनवान

1– रामबिलास आयु 37 वर्ष पुत्र श्री छीतरलाल, चमेलीबाई
2– हरिभजन आयु 34 वर्ष पुत्र श्री छीतरलाल, चमेलीबाई
3– राकेश आयु 33 वर्ष पुत्र श्री छीतरलाल, चमेलीबाई
जातियान धाकड निवासीगण लालाहेडा श्यामपुरा तहसील सांगोद
4– मेनाबाई आयु 37 वर्ष पुत्र श्री छीतरलाल, चमेलीबाई पत्नी सत्यनारायण जाति धाकड, निवासी पालक्या, तहसील सांगोद, जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1– बजरंगलाल पुत्र कन्हैयालाल सुमन, जाति माली, निवासी मालियों का मोहल्ला वार्ड नं. 2 बोहत, तहसील मांगरोल, जिला बारां
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित– श्री ओ.पी. मेहता–।। अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.08.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या –158/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट बजरंगलाल ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मियाडा, तहसील बारां जमाबंदी सम्वत् 2033–36 खाता संख्या 134 में ख. नं. 64 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा भूमि खातेदार मथरी जोजे बिरधा कोम धाकड के खाते दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.09.2019 से वाद–वादी स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि ग्राम मियाडा की आराजी खसरा नं. 110 रकबा 1.14 हेक्टर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2019 न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो./वादी बजरंगलाल द्वारा गलत तथ्यों पर ग्राम मियाडा की आराजी खसरा नं. 110 रकबा 1.14 हेक्टर के साबिक खसरा नम्बर सेटलमेंट सम्वत 2038–57 के पूर्व खसरा नं. 64 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा पर मृतक मथरी जोजे बिरधा, कोम धाकड को लाऔलाद फोत होना व मृतक मथरी द्वारा दिनांक 05.04.1983 की फर्जी वसीयत तैयार कर दिनांक

22-8-2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

07.07.1984 को उसकी मृत्यु होना बताया जाकर दिनांक 04.09.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया जिस पर रेस्पो0 कम 2/प्रतिवादी तहसीलदार बारां द्वारा दिनांक 20.12.2018 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा अपने जवाब दावा के साथ भू–अभिलेख निरीक्षक कोयला की दिनांक 18.12.2018 मौका रिपोर्ट जिस पर हल्का पटवारी मियाडा व आई.एल.आर. कोयला के हस्ताक्षर हैं, साथ में प्रस्तुत की गयी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो कोई विवाद बिन्दुओं का कोई विवेचन किया गया, ना ही मौका रिपोर्ट का कोई अवलोकन किया गया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों के विपरीत रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का ठीक प्रकार से विवेचन न करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की गयी जो खिलाफ कानून होने से काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

वादी द्वारा दिनांक 07.07.1984 को मथरी को देहांत होना बताया गया है जबकि मथरी बाई का देहांत दिनांक 19.07.1983 को हो चुका था। इस प्रकार ग्राम पंचायत मियाडा के सचिव द्वारा गलत रूप से मथरीबाई की मृत्यु की तारीख 07.07.1984 बिना कोई तहकीकात के जारी की गयी है तथा इसी प्रकार ग्राम पचांयत मियाडा के सचिव द्वारा मथरीबाई के कोई वारिस होना नहीं बताया गया और ना ही कोई संतान होना बताया गया है इस प्रकार ग्राम पचांयत मियाडा सचिव द्वारा केवल रेस्पो0 बजरंगलाल के कथनों अनुसार गलत प्रमाण पत्र जारी किया गया है जबकि वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था क्योंकि तहसील रिपोर्ट दिनांक 20.12.2018 जो भू–अभिलेख निरीक्षक वृत कोयला व हल्का पटवारी मियाडा द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 18.12.2018 को तैयार की गयी जिसमें स्पष्ट अंकित किया गया है कि मथरीबाई की जानकारी की गयी ग्रामवासियान ने बताया कि मथरी बाई ग्राम मियाडा की बेटी थी वारिसान के बारे में जानकारी करने पर ग्रामवासियान ने बताया कि मथरी बाई की मृत्यु करीब 33–34 वर्ष पहले होना बताया उसके पति की मृत्यु उसके पूर्व हो चुकी थी उसके दो पुत्र एक पुत्री होने की जानकारी भी ग्रामवासियान द्वारा दी गयी लेकिन दोनों ही पुत्रों का बहुत पहले ही ग्राम छोड़कर जाना बताया व लाऔलाद फोत होना बताया। पुत्री के संबंध में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं दे सका। ग्रामवासियान ने यह भी बताया कि मथरी बाई की मृत्यु के पहले से ही उनके वारिसान यहां नहीं रहते थे इस प्रकार ग्राम पंचायत मियाडा सचिव द्वारा व वादी/रेस्पो0 बजरंगलाल द्वारा मथरीबाई को गलत रूप से लाऔलाद फोत होना बताया गया है जबकि हल्का पटवारी व आई. एल. आर. रिपोर्ट कोयला के अनुसार मथरी बाई के दो पुत्र एक पुत्री होना दर्शाया गया है इस प्रकार मथरीबाई की एकमात्र पुत्री मोहनी बाई थी मथरीबाई के दोनों पुत्रों का देहांत लाओलाद हो गया था इस प्रकार मथरीबाई की एक मात्र वारिस मोहनीबाई हुई। मोहनीबाई की एक मात्र पुत्री चमेलीबाई थी जो छीतरलाल, निवासी लालहेडा, श्यामपुरा के साथ ब्याई थी किन्तु दुर्घटना में मोहनीबाई से पूर्व ही दिनांक 02.10.2013 को चमेलीबाई का देहांत हुआ व चमेलीबाई के दो साल बाद दिनांक 11.12.2015 को मोहनीबाई पुत्री मथरी बाई, बिरधा पत्नी रामनारायण का देहान्त हुआ। मोहनीबाई ससुराल पनवाड, तहसील खानपुर, जिला झालावाड में ब्याई थी। इस प्रकार वादी द्वारा तथ्यों को छिपाकर मृतक मथरीबाई के वारिसान अपीलांटगण मौजूद होने के बावजूद गलत रूप से वाद पेश किया गया तथा मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी मियाडा व आई. एल. आर. कोयला की रिपोर्ट में अंकन होने के बावजूद वाद पत्र में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं

22-8-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

करवाया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी कानूनी बिन्दुओं पर गौर नहीं करके भारी त्रुटि की है व वादी/रेस्पो0 का वाद स्वीकार करने में भारी भूल की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2019 को खिलाफ कानून होने से काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.03.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमें पक्षकार नहीं बनाया अतः हमारी सुनवाई नहीं हुई। सरंपच को वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। मथरीबाई व बजंरगलाल पृथक–पृथक गांव के निवासी हैं। हमें पक्षकार नहीं बनाने के कारण हमें जानकारी नहीं हो पायी तथा धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की है। अतः हमें पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश कर मौखिक रूप से उनके अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मृतका मथरी बाई के पिता नाथूलाल व ताऊ रघुनाथ सगे भाई थे। रघुनाथ की मृत्यु उपरांत मृतक रघुनाथ के फौती नामांतरकरण से मथरीबाई के नाम खाते दर्ज हुई। मथरी बाई उक्त विरासत में प्राप्त आराजियात की पूर्ण मालिक स्वामिनी होने से मथरीबाई ने अपने जीवनकाल में तत्समय अपने खातेदारी में दर्ज आराजियात का वसीयतनामा दिनांक 05.04.1983 को निष्पादित कर पुत्रवत अपनी सेवा सुश्रुषा कर रहे बजरंगलाल को अपना वसीयती उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मथरीबाई के दो पुत्र थे जो 40 वर्ष पहले लापता हो गये, जिनके जिंदा एवं मरे होने बाबत् मथरीबाई के किसी भी परिवारजन को कोई भी जानकारी नहीं है। मथरी बाई की वसीयती मृत्यु दिनांक 07.07.1984 को ग्राम बोहत में हुई। रेस्पो0 बजरंगलाल मथरीबाई की मृत्यु उपरांत से उक्त आराजी पर बहैसियत मालिक स्वामी एवं वसीयती उत्तराधिकारी के रूप में उक्त आराजियात को काश्त करता चला आ रहा है। मथरीबाई की मृत्यु बोहत में रेस्पोडेंट के घर पर हुई, उसका दाह संस्कार बोहत में रेस्पोडेंट बजरंगलाल ने किया। अपीलांट्स द्वारा मृतक मथरीबाई के उत्तराधिकारी होने बाबत सक्षम न्यायालय का कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है।

मुनाफा काश्त पर आराजी को काश्त करने बाबत अपीलांट्स द्वारा कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किये, ना ही मृतक मथरीबाई का फौती नामांतरकरण बाबत कोई कार्यवाही पेश की। मथरीबाई की वसीयती मृत्यु होने से मृतका मथरी बाई के ज्ञात एवं अज्ञात वारिसान को कोई हक अधिकार नहीं बनता। क्योंकि वाद में विवादित आराजियात

22-8-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मथरीबाई को अपने पिता नाथूलाल व अपने ताऊ रघुनाथ से विरासत में प्राप्त हुई है। इस कारण मथरी बाई के खाते की आराजी अपीलांट्स की पैतृक आराजी नहीं होने से उक्त आराजी में अपीलांट्स का कोई हक अधिकार नहीं है। मथरीबाई अपने खाते की आराजी की पूर्ण स्वामिनी होने से मथरीबाई को अपने खाते की आराजियात का अपनी इच्छा अनुसार वसीयत करने का पूर्ण अधिकार है। इस हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय धनपत बनाम श्योराम पेज नं. 341 उद्धरत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.2019 से लगभग 5 वर्ष बाद पश्चात अपील पेश की है, जो मियाद बाहर है। धारा 5 प्रार्थना पत्र में देरी को माफ करने बाबत् कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अतः मियाद बाहर होने से निरस्तनीय है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय डी.एन.जे. 2021(4) सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 146 बिहारी मृतक के वारिसान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, आर.बी.जे. 2018 पेज नम्बर 356 सरदारराम बनाम राजस्थान सरकार वगै., आर.बी.जे. 2017 पेज नम्बर 95 दयाराम बनाम सबूदार उर्फ सूबेसिंह उद्धरत की गयी। अतः अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी. पी. सी. स्वीकार किया जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स द्वारा मथरी जोजे बिरधा के वारिसान होने का कथन कर अपील पेश की गई है। अपीलांट द्वारा मथरीबाई की एक पुत्री मोहनीबाई होना बताया है। मोहनीबाई की पुत्री चमेलीबाई का होना प्रकट किया है तथा अपीलांट्स को चमेलीबाई के वारिसान बताया है। प्रकरण में विवाद मथरीबाई की आराजी के सम्बन्ध में है। अपीलांट्स का मथरीबाई से प्रत्यक्ष सम्बन्ध प्रमाणित नहीं होने से सिविल न्यायालय से उत्तराधिकारी घोषित कराकर अपील दायर की जानी चाहिए थी। प्रकरण में मोहनीबाई चमेलीबाई के मृत्यु प्रमाण पत्र से अपीलांट्स का मथरीबाई के वारिसान होना प्रकट नहीं होता।

प्रस्तुत प्रकरण में मथरी द्वारा विवादित आराजी की वसीयत रेस्पोडेंट कम 1 बजरंगलाल के पक्ष में की गई है। अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसकी वसीयत करने का अधिकार मृतका मथरी को नहीं था। अपीलांट के अनुसार रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत बहस की मद सं. 1 की 7वीं पंक्ति से आराजी पैतृक होना सिद्ध होता है। अपील में प्रस्तुत जमाबन्दियों के अनुसार विवादित आराजी मथरीबाई के पिता एवं पिता के भाई के खाते दर्ज थी, जो मथरीबाई के खाते दर्ज हुई।

यहाँ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 हमारा मार्गदर्शन करता है कि – *" (1) Any property possessed by a female Hindu, whether required befor or after the commencement of this Act, shall be held by her as full owner thereof and not as a limited owner. Explanation - In this sub- section, "Property" includes both movable and immovable property acquired by a*

22-8-24
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

female Hindu by inheritance or devise, or at a partition, or in lieu of maintenance of arrears of maintenance, or by gift from any person, whether a relative or not, before, at or after her marriage, or by her own skill or exertion, or by purchase or by prescription, or in any other manner whatsoever, and also any such property held by her as stridhana immediately before the commencement of this Act.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to any property acquired by way of gift or under a will or any other instrument or under decree or order of a civil court or under an award where the terms of the gift, will or other instrument or the decree, order or award prescribe a restricted estate in such property." उक्तानुसार मथरीबाई का उक्त विवादित आराजी की Absolnte owner होना प्रकट होता है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 में वर्णित उत्तराधिकार का क्रम निर्वसियत करने वाली हिन्दू नारी पर लागू होता है। प्रस्तुत प्रकरण में मथरीबाई की मृत्यु निर्वसियत नहीं होने से धारा 15 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार सम्पत्ति के न्यागत होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय में मथरीबाई की वसीयत के दोनों गवाह धन्नालाल तथा गोरूलाल द्वारा शपथ पत्र पेश कर वसीयत को प्रमाणित किया गया है।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.09.2019 एवं इंतकाल दिनांक 11.11.2019 का है। अपील दिनांक 03.04.2024 को प्रस्तुत की गई है। धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि मथरीबाई के देहान्त के पश्चात मोहनीबाई तथा तत्पश्चात चमेलीबाई एवं चमेलीबाई के वारिसान वादी रेस्पोडेंट से मुनाफा काश्त पर जमीन जुपाते थे। अपीलांट द्वारा कथन किया कि इस वर्ष मुनाफा राशि के लिये वादी/रेस्पो0 बजरंगलाल से कहने पर वह स्पष्ट इंकार हो गये तथा कहा कि जमीन मेरे खाते बंध चुकी है। अब किस बात का मुनाफा दूं तो अपीलांट की जानकारी हुई। अपील में अपीलांट्स द्वारा मुनाफा काश्त पर जमीन देने के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। विवादित आराजी दिनांक 11.11.2019 के इंतकाल से वादी/रेस्पो0 के नाम दर्ज हो चुकी थी। अतः अपीलांट का कथन कि 2024 में वादी/रेस्पोडेंट द्वारा मुनाफे काश्त की रकम देने से मना करने पर प्रकरण की जानकारी होना सही प्रकट नहीं होता।

विलम्ब की स्थिति में अपीलांट को विलम्ब का ठोस कारण प्रस्तुत करना होता है जो अपीलांट द्वारा नहीं किया गया। अतः उक्तानुसार प्रस्तुत अपील स्पष्टः मियाद बाहर है तथा विलम्ब कन्डोन करने के कारण भी संतोषप्रद नहीं है। यहां 2018 आर.बी.जे. पेज 356 बोर्ड ऑफ रेवेन्यु राजस्थान अजमेर सरदाराराम बनाम राज. सरकार हमारा मार्गदर्शन करता है।

विवादित आराजी की मथरीबाई Absolnte owner होना सिद्ध होता है तथा अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत के दोनों गवाहों द्वारा शपथ पत्र से वसीयत को प्रमाणित किया गया है। अपीलांट्स मथरीबाई के वारिसान होना भी प्रमाणित नहीं होता। वारिसान

22-8-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

होने बाबत सिविल न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी सलंग्न नहीं है। अतः उक्तानुसार अपील अपीलांट मियाद बाहर होने तथा गुणावगुण पर भी सिद्ध नहीं होने से, सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– रामबिलास आयु 37 वर्ष पुत्र श्री छीतरलाल, चमेलीबाई
2– हरिभजन आयु 34 वर्ष पुत्र श्री छीतरलाल, चमेलीबाई
3– राकेश आयु 33 वर्ष पुत्र श्री छीतरलाल, चमेलीबाई
जातियान धाकड निवासीगण लालाहेडा श्यामपुरा तहसील सांगोद
4– मेनाबाई आयु 37 वर्ष पुत्र श्री छीतरलाल, चमेलीबाई पत्नी सत्यनारायण जाति धाकड, निवासी पालक्या, तहसील सांगोद, जिला कोटा

अपीलांट्स

बनाम

1– बजरंगलाल पुत्र कन्हैयालाल सुमन, जाति माली, निवासी मालियों का मोहल्ला वार्ड नं. 2 बोहत, तहसील मांगरोल, जिला बारां
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां

रेस्पोडेंट्स

अपील नं **2024 / 32**
मु.द.नं0 **158 / 2018**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी ,बारां**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **24.09.2019**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **07 माह 08** सन् **2024**

श्री **ओ.पी. मेहता–।।** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **हरिओम चतुर्वेदी** अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.09.2019 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **22 माह 08 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

22/8/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)